पत्र संख्या-वैट-(08-09)-विज्ञप्ति- 354 / वाणिज्य कर।

कार्यालय कमिश्नर वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश

(वैट अनुभाग)

लखनऊ // दिनांक // 3 जुलाई, 2008

समस्त एडीशनल कमिश्नर ग्रेड-1, वाणिज्य कर,
उत्तर प्रदेश।

डोमेस्टिक टैरिफ एरिया के अथवा विशेष आर्थिक परिक्षेत्र के अन्दर के व्यवहारी द्वारा विशेष आर्थिक परिक्षेत्रों के विकासकर्ता, सह विकासकर्ता तथा वहां स्थापित इकईयों को कमिश्नर, वाणिज्य कर, द्वारा विहित प्रारूप में प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने पर विकास आयुक्त द्वारा प्राधिकृत " आपरेशन्स " हेतु बेचे गये माल के आवर्त पर दिनांक 01 जनवरी, 2008 से कर उद्ग्रहीत या भुगतान न करने के संबंध में शासन द्वारा विज्ञप्ति संख्या- क0नि0-2-2027/ग्यारह-9(15)/08-उ0प्र0अधि0-5-2008-आदेश-(26)-2008, दि0 30-6-08 जारी की गयी है।

उपरोक्त विज्ञप्ति में छूट प्रदान करने के लिए कमिश्नर वाणिज्य कर द्वारा विहित प्रारूप में प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना होगा। विज्ञप्ति के प्राविधानो का क्रियान्वयन करने के लिए प्रमाणपत्र का प्रारुप **"फार्म-डी"** निर्धारित किया जाता है। यह फार्म-डी मुख्यालय के परिपत्र सं0-वैट-फार्म-डी-रख रखाव प्रक्रिया/2007-08 / 511 / वाणिज्य कर, दि0 14-01-08 द्वारा निर्धारित किया गया था जिसे परिपत्र सं0-680, दि0 13-3-08 द्वारा संशोधित किया गया है। डोमेस्टिक टैरिफ एरिया के अथवा विशेष आर्थिक परिक्षेत्र के अन्दर के व्यवहारी द्वारा विशेष आर्थिक परिक्षेत्रों के विकासकर्ता, सह विकासकर्ता, स्थापित इकाईयों को खरीद हेतु प्रारुप फार्म-डी का रख-रखाव व प्रयोग मुख्यालय के उपरोक्त परिपत्रों में निहित निर्देशानुसार किया जायेगा। फार्म डी में जहाँ " यू0पी0वैट अध्यादेश, 2007 शिड्यूल-IV के क्रमॉक-6(a), 9(a), 10(a),11(a) लिखा है " के स्थान पर **विज्ञप्ति सं0- क0नि0-2-2027/ग्यारह-9(15)/08-उ0प्र0अधि0-5-2008-आदेश-(26)-2008, दि0 30-6-08** तथा " कर योग्य वस्तुओं के निर्माण की प्रक्रिया में प्रयुक्त वस्तुओं के लिए प्रमाण पत्र " के स्थान पर **विशेष आर्थिक परिक्षेत्र में स्थापित इकाई तथा विकासकर्ता या सह विकास कर्ता को विकास आयुक्त द्वारा अधिकृत आपरेशन्स हेतु खरीद के लिए प्रमाणपत्र** (प्रति संलग्न) लिखा जायेगा।

उपरोक्त संशोधन के साथ प्रचलित फार्म डी का प्रयोग किया जायेगा तथा कर निर्धारण अधिकारी द्वारा फार्म डी पर ईई सीरीज के टिकट लगाकर प्रतिहस्ताक्षर करेंगे।

अतः आपको निर्देश दिया जाता है कि इस पत्र की प्रतियॉं पर्याप्त मात्रा में करवा कर अपने अधीनस्थ समस्त कर निर्धारण अधिकारियों/व्यापारिक संघों/अधिवक्ता संघों को उपलब्ध कराने तथा इसका व्यापक प्रचार-प्रसार करना सुनिश्चित करें।

संलग्नक : उपरोक्तानुसार।

(दीपक कुमार)
कमिश्नर वाणिज्य कर,
उ0प्र0, लखनऊ।

पृष्ठांकन पत्र संख्या एवं दिनांक – उक्त।

प्रतिलिपि -- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. प्रमुख सचिव, कर एवं निबन्धन विभाग, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
2. श्री एस0सी0द्विवेदी/श्री यू0सी0दीक्षित, संयुक्त सचिव, कर एवं निबन्धन विभाग, उ0प्र0 लखनऊ।

करनिर्धारण अधिकारी द्वारा प्रमाणीकरण हस्ताक्षर, नाम व मुहर सहित

फार्म - डी

वाणिज्य कर विभाग, उत्तर प्रदेश सरकार

[क0नि0-2-2027/ग्यारह-9(15)/08-30प्र03धि0-5-2008-आदेश-(26)-2008 दिनांक 30-6-2008]

विशेष आर्थिक परिक्षेत्र में स्थापित इकाई तथा विकासकर्ता या सह विकासकर्ता को विकास आयुक्त द्वारा अधिकृत आपरेशन्स हेतु खरीद के लिये प्रमाण पत्र

(मूल प्रति - करनिर्धारण प्राधिकारी के लिए)

बुक संख्या-------------------------------- क्रम संख्या-----------------------------

1-	क्रेता का नाम व पता	
2-	टिन	प्रभावी तिथि
3-	करनिर्धारण वर्ष	
4-	माह का अंतिम दिनांक	
5-	विक्रेता का नाम व पता	
6-	टिन	प्रभावी तिथि

खरीद का विवरण

क्र0सं0	माह का नाम	वस्तुओं का नाम	माप / मात्रा	सेल / टैक्स इनवाइस की धनराशि	कर की धनराशि	योग
1	2	3	4	5	6	7

Total in words	
Total in figure	

घोषणा

मै ---पुत्र / पुत्री / पत्नी-- प्रास्थिति-------------------- ,
एतद्द्वारा घोषणा करता हूँ कि ऊपर तथा इस प्रमाण पत्र के पृष्ठ भाग में दी गयी सूचनाएं मेरी सर्वोच्च जानकारी के अनुसार पूर्ण व सही है।

स्थान -
तिथि -
मुहर

हस्ताक्षर
अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता का नाम व पदनाम

नोट - फार्म के रखरखाव / प्रयोग की प्रक्रिया

1. फार्म-डी व्यापारी द्वारा क्रमांकित बाईण्डेड बुक में रखा जाएगा।
2. प्रत्येक वित्तीय वर्ष के लिए क्रमांक 00001 से प्रारंभ होकर क्रमागत रहेगा।
3. यह प्रमाण पत्र तीन प्रतियों (मूल, द्वितीय एवं प्रतिपर्ण) में रखा जाएगा।
4. मूल / द्वितीय प्रति विक्रेता को खरीद करते समय जारी किया जाएगा।
5. प्रतिपर्ण क्रेता व्यापारी द्वारा स्वयं अपने पास रखा जाएगा।
6. मूल प्रति कर निर्धारक प्राधिकारी को वार्षिक नक्शा दाखिल करते समय बिक्री की सूची के साथ प्रस्तुत किया जाएगा।
7. द्वितीय प्रति विक्रेता व्यापारी द्वारा अपने पास रखी जाएगी।
8. फार्म व्यापारी स्वयं ही ए-4 साईज में प्रिन्ट करवाएगा और एक बुकलेट पचास फार्म की होगी।
9. फार्म डी जारी करने से पूर्व कर निर्धारक प्राधिकारी से मूल प्रति पर प्रतिहस्ताक्षर करवाना अनिवार्य होगा।
10. प्रयुक्त फार्म डी का विवरण निर्धारित प्रारूप में व्यापारी द्वारा दो प्रतियों में रखा जाएगा तथा एक प्रति करनिर्धारण अधिकारी को फार्म डी की अगले बुकलेटों पर प्रतिहस्ताक्षर कराने के पूर्व प्रस्तुत करेगा। तत्पश्चात फार्म डी करनिर्धारण प्राधिकारी द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित किये जायेंगे तथा पूर्ण हस्ताक्षर करेंगे व नाम/पदनाम की मोहर लगायेंगे। व्यापारी द्वारा रखे गये उक्त विवरण की व्यापारी की प्रति पर भी करनिर्धारण प्राधिकारी द्वारा अपनी मोहर लगाते हुए हस्ताक्षर करेंगे।
11. एक फार्म डी में अधिकतम एक माह के संव्यवहार का इन्द्राज किया जा सकता है जिसकी अधिकतम मौद्रिक सीमा रू0 10 लाख होगी परन्तु 25 करोड़ वार्षिक विक्रय धन वाले व्यापारी, राज्य सरकार / भारत सरकार के विभाग तथा राज्य सरकार / भारत सरकार के उपक्रम / निगम / कंपनी के लिए उपरोक्त मौद्रिक सीमा लागू नही होगी।
12. फार्म डी पर हस्ताक्षर केवल वही व्यक्ति करेंगे जिनका उल्लेख उ0प्र0मूल्य संवर्धित कर नियमावली, 2008 के नियम-32(6) में है अथवा टैक्स इनवाइस को अभिप्रमाणित करने के लिए अधिकृत व्यक्ति द्वारा किया जाएगा।

करनिर्धारण अधिकारी द्वारा प्रमाणीकरण हस्ताक्षर, नाम व मुहर सहित

फार्म - डी

वाणिज्य कर विभाग, उत्तर प्रदेश सरकार

[क0नि0-2-2027/ग्यारह-9(15)/08-उ0प्र0अधि0-5-2008-आदेश-(26)-2008 दिनांक 30-6-2008]

विशेष आर्थिक परिक्षेत्र में स्थापित इकाई तथा विकासकर्ता या सह विकासकर्ता को विकास आयुक्त द्वारा अधिकृत आपरेशन्स हेतु खरीद के लिये प्रमाण पत्र

(द्वितीय प्रति - विक्रेता व्यापारी के लिए)

क्रम संख्या---------------------------

बुक संख्या---------------------------------

1-	क्रेता का नाम व पता	प्रभावी तिथि
2-	टिन	
3-	करनिर्धारण वर्ष	
4-	माह का अंतिम दिनांक	
5-	विक्रेता का नाम व पता	प्रभावी तिथि
6-	टिन	

खरीद का विवरण

क्र0सं0	माह का नाम	वस्तुओं का नाम	माप / मात्रा	सेल / टैक्स इनवाइस की धनराशि	कर की धनराशि	योग
1	2	3	4	5	6	7

Total in words	
Total in figure	

घोषणा

मै --पुत्र / पुत्री / पत्नी-- प्रास्थिति-------------------- , एतद्द्वारा घोषणा करता हूँ कि ऊपर तथा इस प्रमाण पत्र के पृष्ठ भाग में दी गयी सूचनाएं मेरी सर्वोच्च जानकारी के अनुसार पूर्ण व सही है ।

हस्ताक्षर

अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता का नाम व पदनाम

स्थान -

तिथि -

मुहर

नोट - फार्म के रखरखाव / प्रयोग की प्रक्रिया

1. फार्म-डी व्यापारी द्वारा क्रमांकित बाईण्डेड बुक में रखा जाएगा ।
2. प्रत्येक वित्तीय वर्ष के लिए क्रमांक 00001 से प्रारंभ होकर क्रमागत रहेगा ।
3. यह प्रमाण पत्र तीन प्रतियों (मूल, द्वितीय एवं प्रतिपर्ण) में रखा जाएगा ।
4. मूल / द्वितीय प्रति विक्रेता को खरीद करते समय जारी किया जाएगा ।
5. प्रतिपर्ण क्रेता व्यापारी द्वारा स्वयं अपने पास रखा जाएगा ।
6. मूल प्रति कर निर्धारक प्राधिकारी को वार्षिक नक्शा दाखिल करते समय बिक्री की सूची के साथ प्रस्तुत किया जाएगा ।
7. द्वितीय प्रति विक्रेता व्यापारी द्वारा अपने पास रखी जाएगी ।
8. फार्म व्यापारी स्वयं ही ए-4 साईज में प्रिन्ट करवाएगा और एक बुकलेट पचास फार्म की होगी ।
9. फार्म डी जारी करने से पूर्व कर निर्धारक प्राधिकारी से मूल प्रति पर प्रतिहस्ताक्षर करवाना अनिवार्य होगा ।
10. प्रयुक्त फार्म डी का विवरण निर्धारित प्रारूप में व्यापारी द्वारा दो प्रतियों में रखा जाएगा तथा एक प्रति करनिर्धारण अधिकारी को फार्म डी की अगले बुकलेटों पर प्रतिहस्ताक्षर कराने के पूर्व प्रस्तुत करेगा । तत्पश्चात फार्म डी करनिर्धारण प्राधिकारी द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित किये जायेंगे तथा पूर्ण हस्ताक्षर करेंगे व नाम/पदनाम की मोहर लगायेंगे । व्यापारी द्वारा रखे गये उक्त विवरण की व्यापारी की प्रति पर भी करनिर्धारण प्राधिकारी द्वारा अपनी मोहर लगाते हुए हस्ताक्षर करेंगे ।
11. एक फार्म डी में अधिकतम एक माह के संव्यवहार का इन्द्राज किया जा सकता है जिसकी अधिकतम मौद्रिक सीमा रू0 10 लाख होगी परन्तु 25 करोड़ वार्षिक विक्रय धन वाले व्यापारी, राज्य सरकार / भारत सरकार के विभाग तथा राज्य सरकार / भारत सरकार के उपक्रम / निगम / कंपनी के लिए उपरोक्त मौद्रिक सीमा लागू नहीं होगी ।
12. फार्म डी पर हस्ताक्षर केवल वही व्यक्ति करेंगे जिनका उल्लेख उ0प्र0मूल्य संवर्धित कर नियमावली, 2008 के नियम-32(6) में है अथवा टैक्स इनवाइस को अभिप्रमाणित करने के लिए अधिकृत व्यक्ति द्वारा किया जाएगा ।

करनिर्धारण अधिकारी द्वारा प्रमाणीकरण हस्ताक्षर, नाम व मुहर सहित

फार्म - डी

वाणिज्य कर विभाग, उत्तर प्रदेश सरकार

[क0नि0-2-2027/ग्यारह-9(15)/08-उ0प्र0अधि0-5-2008-आदेश-(26)-2008 दिनांक 30-6-2008]

विशेष आर्थिक परिक्षेत्र में स्थापित इकाई तथा विकासकर्ता या सह विकासकर्ता को विकास आयुक्त द्वारा अधिकृत आपरेशन्स हेतु खरीद के लिये प्रमाण पत्र

(प्रतिपर्ण - क्रेता व्यापारी के लिए)

क्रम संख्या-----------------------------

बुक संख्या------------------------------

1-	क्रेता का नाम व पता	
2-	टिन	प्रभावी तिथि
3-	करनिर्धारण वर्ष	
4-	माह का अंतिम दिनांक	
5-	विक्रेता का नाम व पता	
6-	टिन	प्रभावी तिथि

खरीद का विवरण

क्र0सं0	माह का नाम	वस्तुओं का नाम	माप / मात्रा	सेल / टैक्स इनवाइस की धनराशि	कर की धनराशि	योग
1	2	3	4	5	6	7

Total in words	
Total in figure	

घोषणा

मै ---पुत्र / पुत्री / पत्नी-- प्रास्थिति------------------- ,

एतद्द्वारा घोषणा करता हूँ कि ऊपर तथा इस प्रमाण पत्र के पृष्ठ भाग में दी गयी सूचनाएं मेरी सर्वोच्च जानकारी के अनुसार पूर्ण व सही है।

स्थान -

तिथि -

मुहर

हस्ताक्षर

अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता का नाम व पदनाम

नोट - फार्म के रखरखाव / प्रयोग की प्रक्रिया

1. फार्म-डी व्यापारी द्वारा क्रमांकित बाईण्डेड बुक में रखा जाएगा।
2. प्रत्येक वित्तीय वर्ष के लिए क्रमांक 00001 से प्रारंभ होकर क्रमागत रहेगा।
3. यह प्रमाण पत्र तीन प्रतियों (मूल, द्वितीय एवं प्रतिपर्ण) में रखा जाएगा।
4. मूल / द्वितीय प्रति विक्रेता को खरीद करते समय जारी किया जाएगा।
5. प्रतिपर्ण क्रेता व्यापारी द्वारा स्वयं अपने पास रखा जाएगा।
6. मूल प्रति कर निर्धारक प्राधिकारी को वार्षिक नक्शा दाखिल करते समय बिक्री की सूची के साथ प्रस्तुत किया जाएगा।
7. द्वितीय प्रति विक्रेता व्यापारी द्वारा अपने पास रखी जाएगी।
8. फार्म व्यापारी स्वयं ही ए-4 साईज में प्रिन्ट करवाएगा और एक बुकलेट पचास फार्म की होगी।
9. फार्म डी जारी करने से पूर्व कर निर्धारक प्राधिकारी से मूल प्रति पर प्रतिहस्ताक्षर करवाना अनिवार्य होगा।
10. प्रयुक्त फार्म डी का विवरण निर्धारित प्रारूप में व्यापारी द्वारा दो प्रतियों में रखा जाएगा तथा एक प्रति करनिर्धारण अधिकारी को फार्म डी की अगले बुकलेटों पर प्रतिहस्ताक्षर कराने के पूर्व प्रस्तुत करेगा। तत्पश्चात फार्म डी करनिर्धारण प्राधिकारी द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित किये जायेंगे तथा पूर्ण हस्ताक्षर करेंगे व नाम/पदनाम की मोहर लगायेंगे। व्यापारी द्वारा रखे गये उक्त विवरण की व्यापारी की प्रति पर भी करनिर्धारण प्राधिकारी द्वारा अपनी मोहर लगाते हुए हस्ताक्षर करेंगे।
11. एक फार्म डी में अधिकतम एक माह के संव्यवहार का इन्द्राज किया जा सकता है जिसकी अधिकतम मौद्रिक सीमा रू0 10 लाख होगी परन्तु 25 करोड़ वार्षिक विक्रय धन वाले व्यापारी, राज्य सरकार / भारत सरकार के विभाग तथा राज्य सरकार / भारत सरकार के उपक्रम / निगम / कंपनी के लिए उपरोक्त मौद्रिक सीमा लागू नहीं होगी।
12. फार्म डी पर हस्ताक्षर केवल वही व्यक्ति करेंगे जिनका उल्लेख उ0प्र0मूल्य संवर्धित कर नियमावली, 2008 के नियम-32(6) में है अथवा टैक्स इनवाइस को अभिप्रमाणित करने के लिए अधिकृत व्यक्ति द्वारा किया जाएगा।

प्रयोग किये गये फार्म डी के विवरण का निर्धारित प्रारूप

सेल / टैक्स इनवाइस के विरूद्ध की गयी खरीद की सूची

क्र०सं०	विक्रेता व्यापारी का नाम व पता	फार्म डी की सख्या	टिन	सेल / टैक्स इनवाइस संख्या	सेल / टैक्स इनवाइस की तिथि	वस्तुओं का विवरण			वस्तुओं का करयोग्य मूल्य	वसूले गये कर की राशि	इनवाइस व कुल धनराशि
						नाम	कोड	मात्रा / माप			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1											
2											
3											
4											
5											

हस्ताक्षर

अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता का नाम व पता

तिथि